रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33001/99 REGD. NO. D. L.-33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 7, 2000/आश्विन 15, 1922
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 7, 2000/ASVINA 15, 1922

इस भाग में भिन्न संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, By-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2000

सा.का.नि. 379.—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, संबंधित राज्य-सरकारों से परामर्श के उपरांत, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, 1955 में आगे और संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1998 है।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, 1955 (आगे उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 10, उप-नियम (1), खण्ड (क) के उप-खण्ड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

   "(viii) "टेलीविजन, विडियो कैसेट रिकॉर्डर, विडियो कैसेट प्लेयर, वाशिंग मशीन, कुकिंग रेंज, गीजर, कम्प्यूटर आदि उपभोक्ता सामान खरीदने हेतु।"

3. उक्त नियमों के नियम 12, उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

   "(छ) टेलीविजन, विडियो कैसेट रिकॉर्डर, विडियो कैसेट प्लेयर, वाशिंग मशीन, कुकिंग रेंज, गीजर, कम्प्यूटर आदि उपभोक्ता-सामान की कीमत चुकाने से जुड़ा व्यय वहन करने हेतु।"

[संख्या-11026/1/98-अ.भा.से.-III]

एन. वेणुगोपालन, अवर सचिव

(Department of Culture)

New Delhi, the 25th September, 2000

G.S.R. 389.—In partial modification of the Notification of even number dated 3rd May, 2000, the Union Government hereby notify the names of the following persons as members of the Reconstituted Raja Rammohun Roy Library Foundation in place of Shri Sanjeev Chattopadhaya, Calcutta, Prof. Vishnu Narayanan Nambudiri, nominated under rules 3 and 6 of the rules and regulations of the Memorandum of Associations of the Foundation for period of 3 years from the date of 1st meeting of the reconstituted Foundation.

1. Dr. Tarun Majumdar
   Block-G, 406/3
   New Alipur
   Calcutta-700053
2. Kalamandala V.S. Sharma,
   NIVEDITHA
   Sastha Mangalam
   Thiruvanthapuram (Kerala)-695010

[No. F. 27-39/99-Lib.]

DHARAM PAL, Under Secy.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2000

सा. का. नि. 390.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (वन्य जीव निरीक्षक) भर्ती नियम, 1983 तथा वन्य जीव प्रादेशिक कार्यालय सहायक निदेशक (वन्य जीव परिरक्षण) भर्ती नियम,1987 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन वन्य जीव प्रादेशिक कार्यालयों में समूह क और ख अननुसचिवीय पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन्य जीव प्रादेशिक कार्यालय (समूह क और समूह ख) भर्ती नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

लागू होना—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ में विनिर्दिष्ट पद/पदों को लागू होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

Attested

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन
1	2	3	4	5
सहायक निदेशक (वन्य जीव परिरक्षण)	3* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' जपत्रित, अननुसचिवीय	8000-275-13500 रुपये	चयन सह ज्येष्ठता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7	8
35 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण :—** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार दीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	नहीं	**आवश्यक :** (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वन्य जीव विज्ञान या वन्य जीव प्रबंध में मास्टर डिग्री या समतुल्य। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वर्गीकरण विज्ञान या पक्षी विज्ञान या उभवसृप विज्ञान या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ प्राणि विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य। (2) भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा प्रदान किया गया वन्य जीव प्रबंध में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र या समतुल्य। **वांछनीय :—** वन्य जीव प्रबंध में अनुभव। **टिप्पण 1 :—** अर्हताएं सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :—** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
9	10	11
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : नहीं किंतु विज्ञान में स्नातक की डिग्री अवश्य हो, जिसमें प्राणि विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो।	सीधे भर्ती किए गए और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13	14
प्रोन्नति : 5500-9000 रु. के वेतनमान में ऐसे वन्य जीव निरीक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हैं। **टिप्पण :—** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)** 1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. उप वन महानिरीक्षक (वन्य जीव) पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य 3. संयुक्त निदेशक (वन्य जीव/उपनिदेशक वन्य जीव) पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य 4. निदेशक (प्रशासन)/उपसचिव (प्रशासन) पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य **समूह के विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) :—** 1. अपर वन महानिरीक्षक (वन्य जीव)/संयुक्त सचिव (प्रशासन) पर्यावरण और वन मंत्रालय —अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (वन्य जीव) पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन)/उपसचिव (प्रशासन) —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5
वन्य जीव निदेशक दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में स्थित वन्य जीव प्रादेशिक कार्यालय।	10* (2000) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय	5500-175-9000 रु.	चयन

Attested

6	7	8
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :**— आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार दीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	नहीं	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में बैचलर डिग्री जिसमें प्राणिविज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो या समतुल्य। (2) भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा प्रदत्त किया गया वन्य जीव प्रबंध में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र या समतुल्य। **टिप्पण :**—1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण :**—2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

9	10	11	12
नहीं	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसा तकनीकी सहायक (वन्य जीव परिरक्षण) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

13	14
प्रोन्नति / पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. संयुक्त निदेशक (वन्य जीव) पर्यावरण और वन मंत्रालय —अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य 3. उपनिदेशक (वन्य जीव परिरक्षण) पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 9-1/98-एफ ई]

एन. भट्टाचार्य, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 28th September, 2000

G. S. R. 390.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of (Wildlife Inspector) Recruitment Rules, 1983 and the Wildlife regional Office Assistant Director (Wildlife Preservation) Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' and 'B' posts (Non-Ministerial) in the regional Wildlife Offices under the Ministry of Environment and Forests, namely:—

1. **Short title and commencement:**—(1) These rules may be called Wildlife regional Office (Group 'A' and 'B') Recruitment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay:**—The number of the said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

Attested

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications:**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

4. **Disqualification:**—No Person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post
1	2	3	4	5
Assistant Director (Wildlife Preservation)	3*(2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 8000-275-13500	Selection-cum-Seniority

Age limit for Direct Recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for Direct Recruits
6	7	8
Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	No	ESSENTIAL (1) master's degree in Wildlife Biology or Wildlife Management from a recognised University or equivalant OR Master's degree in Zoology with specialization in Systematics or Ornithology or Herpetology or Entomology from a recognised University or equivalent. (2) Diploma/Certificate in Wildlife Management awarded by the Wildlife Institute of India or equivalent. DESIRABLE Experience in Wildlife Management Note-1 Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

Attested

8
Note-2 The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of the selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by Promotion or by deputation/absorption and percentage of the Posts to be filled by various methods
9	10	11
Age:—No Educational Qulifications :—No but must possess bachelor's degree in science with Zoology as one of the subjects.	Two years for direct recruits and promotees	Promotion failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion : Wildlife Inspectors in the scale of Rs. 5500-9000/- with eight years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (For Promotion) 1. Chairman/ Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Deputy Inspector General of Forests (Wildlife), Ministry of Environment and forests —Member 3. Joint Director (Wildlife) / Deputy Derector (Wildliife) Ministry of Environment and Forests —Member 4. Director (Administration)/Deputy Secretary (Administration), Ministry of Environment and Forests —Member **Group 'A' Departmental Promotion Committee (For Confirmation)** 1. Additional Inspector General of Forests (Wildlife)/Joint Secretary (Administration), Ministry of Environment and Forests —Chairman 2. Joint Director/Deputy Director (Wildlife), Ministry of Environment and Forests —Member 3. Director (Administration)/Deputy Secretary (Administration) —Member	Consultation with union Public Service Commission necessary on each occasion.

Attested

1	2	3	4	5
Wildlife Inspector (Wildlife Regional Offices at Delhi, Calcutta, Mumbai and Chennai)	10*(2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Non Gazetted Non-Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Non-Selection

6	7	8
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)	No	ESSENTIAL (i) Bachelor's degree in Science with Zoology as a subject from a recognised University or equivalent. (ii) Diploma/Certificate in Wildlife Management awarded by the Wildlife Institute of India or equivalent. Note—1 Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note—2 The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent authority in the case of candidatesbelonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of the selection, the Staff Selection Commission/Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

9	10	11
No	Two years for direct recruits	20% by Promotion by failing which direct recruitment. 80% by Direct recruitment.

12	13	14
Promotion : Technical Assistant (Wildlife Preservation) with five years regular service in the grade.	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering Promotion/Confirmation :— 1. Joint Director (Wildlife), Ministry of Environment and Forests —Chairman 2. Under Secretary (Administration), Ministry of Environment and Forests —Member 3. Deputy Director (Wildlife Preservation), Ministry of Environment and Forests —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 9-1/98-FE]

N. BHATTACHARYA, Under Secy.